डिकरी व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20 रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix"D"-1)
अज अदालत सहायक कलक्टर नदबई
व इजलास श्री हेमराज गुर्जर,आर.ए.एस

विद्यादेवी बनाम सुक्का वगै0

दावा बाबत् 88,89,188 रा0का0 अधिनियम

मुकदमा नंबर 198/2018

यह मुदकमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू ......– व हाजरी वादी मिनजानिब मुद्दढ व .... मिनजानिब मुद्दालय पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि

विवादित आराजी खसरा नं. 1871 रकवा 0.56 हैक्टै. के हाल इन्द्राजात को कलमजन किया जावे व डिक्री दिनांक 22.08.2016 उनवानी दावा वीरेन्द्रसिंह बनाम जलसिंह वगै. में रामश्री पत्नी सुक्का के हिस्से की जमीन को उसके पति सुक्का पुत्र धुन्धी के कुरे में निष्फ हिस्से से अधिक दर्ज किया गया है को निरस्त कर वादनी साबिक रिकार्ड के आधार पर हाल जमाबन्दी में 4/22 के स्थान पर 51/112 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित कर खसरा नं. 1871/2, 0.28 हैक्टै. का खातेदार दर्ज किया जावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

बेज – मुबलिग – – – – – – – बावत – – – – – – – – – – खर्चा इस मुकदमें के मयसुद व शरह ——————फीसदी सालाना आज की तारीख सं तरीख व सुलयाबी तक ——————— की अदा करें ।

दसब्त व मुहर अदालत के आज तारीख 23.03.2021 को जारी की गई ।

मुहर

दस्तखत——

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट नदबई (भरतपुर) राज•

मुद्दई	रूप्या	पैसा	मुद्दालय	रूपया	पैसा
स्टाम्प अराजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमीश्नर बावत इजराय हुक्म नामा मुतफर्रिक मीजान			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी म्हनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बावत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक मीजान		

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2021.10.02 16:30:31 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट नदबई (भरतपुर) राज•

1. विद्यादेवी पत्नी बच्चूसिंह जाति जाट साकिन करही तहसील नदबई जिला भरतपुर राज.।
2. चन्द्रपालसिंह पिस. बच्चूसिंह जाति जाट साकिन करही तहसील नदबई जिला भरतपुर राज.।
3. कप्तानसिंह पिस. बच्चूसिंह जाति जाट साकिन करही तहसील नदबई जिला भरतपुर राज.।
4. भागसिंह पिस. बच्चूसिंह जाति जाट साकिन करही तहसील नदबई जिला भरतपुर राज.।

— वादीगण

<u>बनाम</u>

1. सुक्का पुत्र धुन्धी कौम जाट साकिन करही तहसील नदबई जिला भरतपुर राज.।
2. राजस्थान सरकार जरिये पैरोकार तहसीलदार नदबई।

प्रतिवादीगण

23/03/21

...यक कलेक्टर एवं
...पालक म...
नदबई (भरतपुर...)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Original

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2021.10.02 16:30:31 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी श्री हेमराज गुर्जर R.A.S.)

प्रकरण सं.:— **198 / 2018**
जी.सी.एस.एम. नं.:— **2018 / 00370**
किस्म — दावा अन्तर्गत धारा **88,89,188** आर.टी.ए.
निर्णय दिनांक :— **23.03.2021**

1. विद्यादेवी पत्नी बच्चूसिंह जाति जाट साकिन करही तहसील नदबई जिला भरतपुर राज.।
2. चन्द्रपालसिंह पिस. बच्चूसिंह जाति जाट साकिन करही तहसील नदबई जिला भरतपुर राज.।
3. कप्तानसिंह पिस. बच्चूसिंह जाति जाट साकिन करही तहसील नदबई जिला भरतपुर राज.।
4. मागसिंह पिस. बच्चूसिंह जाति जाट साकिन करही तहसील नदबई जिला भरतपुर राज.।

— वादीगण

बनाम

1. सुक्का पुत्र धुन्धी कौम जाट साकिन करही तहसील नदबई जिला भरतपुर राज.।
2. राजस्थान सरकार जरिये पैरोकार तहसीलदार नदबई।

प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता श्री भगवानसिंह (वादीगण की और से)
श्री सुरेशसिंह (प्रतिवादी की और से)

दावा अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर.टी.ए.

Web Copy Not Official

निर्णय

1. यह कि वादीगण व प्रतिवादीगण में से कोई भी पक्षकारान नावलिग एवं फातरूल नही है। सभी दावा लड़ने में सक्षम है।
2. यह कि खाता सं. 103 के आराजी खसरा नम्बर 1871 रकवा 0.56 हैक्टै. वाके मौजा करही तहसील नदबई में स्थित हैं विवादित आराजी में सं. 2061 से 2064 की जमाबन्दी में वादीगण के पिता बच्चूसिंह पुत्र मूला 3/4 हिस्से के खातेदार थे। तथा शेष 1/4 हिस्सा के जलसिंह, भगवानसिंह, पातीराम पिस0 रतीराम व मु. हरप्यारी वेवा रतीराम खातेदार दर्ज राजस्व रिकार्ड थे तथा इसी दौरान वादीगण के पिता व पति बच्चूसिंह की मृत्यु हो जाने बाद इसी जमाबन्दी में वादीगण का विरासत का दाखिल खारिज होकर बच्चूसिंह के 3/4 हिस्से पर खातेदार दर्ज हो गये। लेकिन इसके बाद जमाबन्दी सं. 2065 से 68 की जमाबन्दी में वादीगण के हिस्से को विभक्त की वादनी को 3/20 हिस्से का व वादीगण सं. 2 ल0 4 को

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2021.10.02 16:30:31 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
नदबई (भरतपुर) राज.

18/28 हिस्से का राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दिया गया यहां तक इन्द्राज सही दर्ज हुए क्योकि 3/28 + 18/28 = 21/28 का अंतिम रूप 3/4 हिस्सा वादीगण की खातेदारी में दर्ज था।

3. यह कि वादीगण ने समान रूप से विवादित आराजी में से अपने 3/4 हिस्सा में से 1/4 हिस्सा रामश्री पत्नी सुक्का को विक्रय कर दिया जिसका इन्त. नं. 513 जमाबन्दी सं.2065 से 2068 में दर्ज है। वादीगण ने अपने समान रूप से 1/4 हिस्सा को विक्रय यिा इसका मतलव 1/16, 1/16 प्रत्येक वादी ने विक्रय किया था। तथा जमाबन्दी सं. 2065 से 68 के इन्द्राज अनुसार वादनी ने अपने 3/28 हिस्सा में से 1/16 हिस्सा विक्रय किया तो शेष हिस्सा 3/28 – 1/16.=5/112 बचा व तीनों वादीगण चन्द्रपाल, कप्तानसिंह, भागसिंह ने मिलकर 3/16 हिस्सा विक्रय किया तो शेष हिस्सा 18/28 – 3/16.= 51/112 + 51/112.= 1/2 हिस्से के खातेदार काश्तकार दर्ज होने चाहिए थे। लेकिन हाल जमाबंदी सं. 2069 से 72 में राजस्व कर्मचारियों की गलती से वादनी विद्यादेवी को 5/112 के बजाय 1/14 का व वादी सं. 2 लगायत 4 को 51/112 के स्थान पर 13/42 हिस्से के गलत इन्द्राज दर्ज कर दिये गये। जबकि वादीगण साबिक रिकार्ड के मुताबिक हाल में विवादित आराजी में 1/2 हिस्से के हिस्सेदार है। जिसके वादीगण साबिक रिकार्ड के आधार पर दुरूस्त करा पाने के अधिकारी है।

4. यह कि विवादित आराजी के सम्बन्ध में उनवानी दावा वीरेन्द्रसिंह बनाम जलसिंह वगै. न्यायालय श्रीमान में पेश हुआ तथा इस बॅटवारे के दावा में वादीगण का एक मात्र खसरा नम्बर 1871 खातेदार जलसिंह, भगवानसिंह पातीराम पिस. रतीराम व हरप्यारी वेवा रतीराम व रामश्री पत्नी सुक्का की सहखातेदारी में दर्ज था। जिसमें से वादीगण को कुर्रा न. 6 में वादनी विद्यादेवी को 5/112 हिस्से का व वादी सं. 2 ल0 4 चन्द्रपाल , कप्तान , भागसिंह पिस0 बच्चूसिंह के 51/112 का खातेदार साबिक रिकार्ड के आधार पर 5/112 +51/112 .=56/112 यानी 1/2 हिस्से के कुरे का यानी 0.28 हैक्टे. हिस्सा उनके कुरे में देना चाहिए था। लेकिन गलत इन्द्राज के आधार [illegible] वादी सं. 2 ल0 4 को 18/23 हिस्से के आधार पर मात्र 0.22 [illegible] गया है ऐसी स्थिति में वादीगण साबिक रिकार्ड के आधार [illegible] में दिया गया है। ऐसी स्थिति में वादीगण साबिक रिकार्ड के आधार पर अपने गलत कुरे [illegible] सही करा पाने के अधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2021.10.02 16:30:31 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
नदबई (भरतपुर) राज.

तथा खसरा नं. 1871 रकवा 0.56 हैक्टे. में से 1/2 हिस्से के आधार पर 0.28 हैक्टै. रकवा अपने कुरे में प्राप्त करने के अधिकारी है।

5. यह कि प्रतिवादीगण ने वादीगण को दिनांक 15.08.2018 को व मुकाम करही पर खुलेआम धमकी दी है। किवह वादीगण को विवादित आराजी के निस्फ हिस्से से बेदखल कर मात्र 0.22 हैक्टे. हिस्से पर काश्त करने देंगे। प्रतिवादीगण अपनी दी गई धमकी में कामयाब हो गये।

6. तो वादीगण को एक अजीम क्षति होगी जिसकी पूर्ति जरे नकद से नही हो सकेगी इसलिए वादीगण प्रतिवादीगण को जरिये हुक्म इम्तनाईं दवामी की डिक्री से पाबंद करा पाने के अधकारी है। किवह विवादित आराजी को तो फैसला वाद रहन, वय, मुन्तकिल नहीं करे व राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

7. यह कि उपरोक्त उनवान के दावा में वर्णित आराजी मुतनाजा व पक्षकारान मुकदमा न्यायालय श्रीमान जी के क्षेत्राधिकार में स्थित होने से श्रीमान जी को वादपत्र सुनने के अधिकार बखूबी हासिल है।

8. यह कि कोर्ट फीस व तलवाना नियमानुसार चस्पा है।अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है। कि दावा वादीगण निम्न प्रकार डिक्री फरमाया जावे।

अ. यह कि विवादित आराजी खसरा नं. 1871 रकवा 0.56 हैक्टै. के हाल इन्द्राजात को कलमजन किया जावे व डिक्री दिनांक 22.08.2016 उनवानी दावा वीरेन्द्रसिंह बनाम जलसिंह वगै. में रामश्री पत्नी सुक्का के हिस्से की जमीन को उसके पति सुक्का पुत्र धुन्धी के कुरे में निष्फ हिस्से से अधिक दर्ज किया गया है को निरस्त कर वादनी साबिक रिकार्ड के आधार पर हाल जमाबन्दी में 4/22 के स्थान पर 51/112 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित कर खसरा नं. 1871/2 , 0.28 हैक्टै. का खातेदार दर्ज करने के आदेश किये जावे।

ब. यह कि प्रतिवादीगण को जरिये हुक्म इम्तनाई दवामी की डिक्री से पाबंद किया जावे कि वह आराजी मुतनाजा वर्णित मद संख्या 2 वादपत्र की आराजी को तो फैसला वाद रहन, वय ,मुन्तकिल नहीं करे व राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2021.10.02 16:30:31 IST
Reason: SelfAttested

दावागण का वाद पत्र दर्ज रजि0 किया [illegible] प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलव किये गये। प्रतिवादीगण स. 1 की ओर से श्री [illegible] उपस्थित हुऐ। तथा इनकी ओर से इकबाल दावा पेश किया गया। प्रतिवादी स. 2 को [illegible] बावजूद अनुपस्थित होने के कारण एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। जिसमें प्रतिवा[illegible] स. 1 सुक्का द्वारा वादीगण के वाद पत्र को स्वीकार कर मुताबिक दावा प्रार्थना पत्र अनुसार डिक्री किये जाने हेतु सहमति दी गई।

सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
नदबई (भरतपुर) राज•

वादी द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन मे दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबंन्दी संवत 2069—2072 वाके ग्राम करई प्रदर्श—1 , नकल प्रमाणित फोटो प्रति मिसल बन्दोबस्त संवत 2060 वाके ग्राम करई प्रदर्श 2 , नकल जमाबंन्दी सवत 2061 से 2064 वाके ग्राम करई प्रदर्श 3, नकल जमाबंन्दी सवत 2065 से 2068 वाके ग्राम करई प्रदर्श 4, नकल निर्णय व डिक्री दिनांक 22.8.16 व उनवानी दावा वीरेन्द्र बनाम जलसिंह वगै0 प्रदर्श 5, कुर्रा रिपोर्ट प्रदर्श 6 , निर्ण प्रदर्श 7 पेश किये गये। तथा मौखिक बयान के रूप में वादी विद्यादेवी पत्नि बच्चूसिंह जाति जाट निवासी करही, तथा चन्द्रपालसिंह पुत्र बचचूसिंह जाति जाट निवासी करही पेश किये गये। जो शामिल पत्रावली किये गये। जिनसे जिरह प्रतिवादी द्वारा कि गई।

प्रतिवादी द्वारा अपने जबाब में दस्तावेजी साक्ष्य व मौखिक साक्ष्य पेश नही किये गये। तथा साक्स प्रतिवादी बंद कि जाकर बहस अन्तिम में पत्रावली नियत की गई।

हमने उभयपक्षकारान के विद्वान वकीलो की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया तो पाया कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबंदी सम्वत 2069 से 2072 में खाता सं. 103 के खसरा नम्बरान 1871 रकवा 0.56 वाके मौजा करही पेश की गई । जिसमें विद्यादेवी पत्नि बच्चूसिंह हि.1/4 चन्द्रपानसिंह व कप्तानसिंह,भगसिंह पि. बचचूसिंह हि.व 13/42 कौम जाट सा. देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है। नकल जमाबन्दी सवत 2061 से 2064 वाके ग्राम करई प्रदर्श 3 में ख.न. 1871 में वादीगण के पिता बच्चूसिंह पुत्र मूला 3/4 हिस्से के खातेदार थे। तथा शेष 1/4 हिस्सा के जलसिंह, भगवानसिंह, पातीराम पिस0 रतीराम व मु. हरप्यारी वेवा रतीराम खातेदार दर्ज राजस्व रिकार्ड थे। वादीगण के पिता व पति बच्चूसिंह की मृत्यु हो जाने बाद इसी जमाबन्दी में वादीगण का विरासत का दाखिल खारिज दर्ज होने पर बच्चूसिंह के 3/4 हिस्से पर खातेदार दर्ज हो गये। लेकिन उसके बाद जमाबन्दी सं. 2065 से 68 की जमाबन्दी में वादीगण के हिस्से को विभक्त की वादनी को 3/28 हिस्से का व वादीगण सं. 2 ल0 4 को 18/28 हिस्से का राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दिया गया जो इन्द्राजात सही दर्ज हुए। लेकिन उसके बाद जमाबन्दी सं. 2065 से 68 की जमाबन्दी में वादीगण के हिस्से को विभक्त की वादनी को 3/28 हिस्से का व वादीगण सं. 2 ल0 4 को 18/28 हिस्से का राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दिया गया यहां तक इन्द्राज सही दर्ज हुए क्योंकि 3/28 + 18/28 = 21/28 का अंतिम रूप 3/4 हिस्सा वादीगण की खातेदारी में दर्ज था। नकल जमाबन्दी सवत 2065 से 2068 वाके ग्राम करई प्रदर्श 4 में विवादित वादीगण ने समान रूप से विवादित आराजी में से अपने 3/4 हिस्सा में से 1/4 हिस्सा रामश्री पत्नी सुक्का को विक्रय कर दिया जिसका इन्त. नं.

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2021.10.02 16:30:31 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
नदबई (भरतपुर) राज.

513 जमाबन्दी सं.2065 से 2068 में दर्ज है। वादीगण ने अपने समान रूप से 1/4 हिस्सा को विक्रय किया था। तथा जमाबन्दी सं. 2065 से 68 के इन्द्राज अनुसार वादनी ने अपने 3/28 हिस्सा में से 1/16 हिस्सा विक्रय किया तो शेष हिस्सा 3/28 – 1/16 =5/112 बचा व तीनों वादीगण चन्द्रपाल, कप्तानसिंह, भागसिंह ने मिलकर 3/16 हिस्सा विक्रय किया तो शेष हिस्सा 18/28 – 3/16 = 51/112 + 51/112 = 1/2 हिस्से के खातेदार काश्तकार दर्ज होने चाहिए थे। लेकिन हाल जमाबंदी सं. 2069 से 72 में राजस्व कर्मचारियों की गलती से वादनी विद्यादेवी को 5/112 के बजाय 1/14 का व वादी सं. 2 लगायत 4 को 51/112 के स्थान पर 13/42 हिस्से के गलत इन्द्राज दर्ज कर दिये गये। जबकि वादीगण साबिक रिकार्ड के मुताबिक हाल में विवादित आराजी में 1/2 हिस्से के हिस्सेदार है। इस प्रकार से वादीगण द्वारा प्रस्तुत साबिक रिकार्ड के आधार पर दुरूस्त करा पाने के अधिकारी है। नकल निर्णय व डिक्री दिनांक 22.8.16 व उनवानी दावा वीरेन्द्र बनाम जलसिंह वगै0 प्रदर्श 5, कुर्रा रिपोर्ट प्रदर्श 6 , निर्ण प्रदर्श 7 पेश किये गये। उक्त आराजी के सबंध में ऐ वाद विभाजन का पूर्व में पेश किया गया जो डिक्री मुताबिक कुर्रा रिपोर्ट अनुसार किया गया जिसमें विवादित आराजी ख.न. 1871 वादीगण सह खातेदार दर्ज थे। जिसमें कुर्रा न. 6 में वादीनी विद्यादेवी को 5/112 हिस्से व वादी स. 2 लगायत 4 के 51/112 हिस्से के रिकार्ड खातेदार के आधार पर 1/2 हिस्से के कुरे का यानि 0.28 हैक्ट. मिलना चाहिए जो कि गलत इन्द्रजात के आधार पर मात्र 0.22 हैक्ट. हि दिया गया है।ऐसी स्थिति में वादीगण साबिक रिकार्ड के आधार पर अपने गलत कुरे में दिया गया है। ऐसी स्थिति में वादीगण द्वारा प्रास्तुत साबिक रिकार्ड के आधार पर अपने गलत कुरे को सही करा पाने के अधिकारी है। तथा खसरा नं. 1871 रकवा 0.56 हैक्टे. में से 1/2 हिस्से के आधार पर 0.28 हैक्टै. रकवा अपने कुरे में प्राप्त करने के अधिकारी है। प्रतिवादी द्वारा उक्त गलत इन्द्राजात को दुरूस्त किये जाने हेतु अपनी कोई आपत्ति नही कि गई तथा दावा वादीगण के मुताबिक प्रार्थना अनुसार इकबाल दावा पेया कर स्वीकार किये जाने हेतु अपनी सहमत भी दी गई है। एवं मौखिक बयान के रूप में वादी विद्यादेवी पत्नि बच्चूसिंह जाति जाट निवासी करही तथा कप्तानसिंह पुत्र बचचूसिंह जाति जाट निवासी करही पेश किये गये। जो वाद पत्र की तस्दीक करते है व सही किये जाने की ताहित भी करते है। इस प्रकार से वादी गण का वाद पत्र डिक्री के है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2021.10.02 16:30:31 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
नदबई (भरतपुर) राज॰

अतः आदेश है कि विवादित आराजी खसरा नं. 1871 रकवा 0.56 हैक्टै. के हाल इन्द्राजात को कलमजन किया जावे व डिक्री दिनांक 22.08.2016 उनवानी दावा वीरेन्द्रसिंह बनाम जलसिंह वगै. में रामश्री पत्नी सुक्का के हिस्से की जमीन को उसके पति सुक्का पुत्र धुन्धी के कुरे में निष्फ हिस्से से अधिक दर्ज किया गया है को निरस्त कर वादनी साबिक रिकार्ड के आधार पर हाल जमाबन्दी में 4/22 के स्थान पर 51/112 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित कर खसरा नं. 1871/2 , 0.28 हैक्टै. का खातेदार दर्ज किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 23.03.2021 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(हेमराज गुर्जर R.A.S.)
सहायक कलक्टर नदबई

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
नदबई (भरतपुर) राज.

Web Copy Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2021.10.02 16:30:31 IST
Reason: SelfAttested